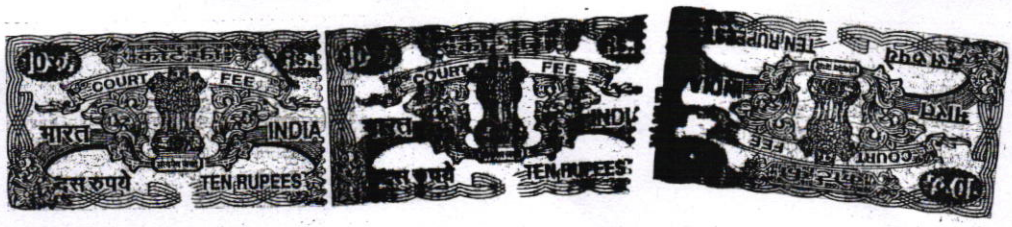

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/3674

मोहनी देवी पति जगदीशचन्द्र सोनी, कृषक ग्राम चाकरोद तहसील कालापीपल मंडी जिला शाजापुर म.प्र.

.......आवेदक

---विरूद्ध--

1– मध्यप्रदेश शासन

2– मधुसूदन, प्रकाश, प्रदीप पुत्रगण रामचरण सोनी निवासीगण–ग्राम चाकरोद तहसील कालापीपल मंडी जिला शाजापुर म.प्र.

.........अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार कालापीपल के प्रकरण क्रमांक 32/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 16/08/2017 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आवेदक का धारा 32 का आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया हैं जबकि प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 16/08/2017 में यह उल्लेख है कि अनावेदक आपत्तिकर्ता धीरज के द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसकी प्रति आवेदक को दी गई है उसके पश्चात् धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता हैं । यह उल्लेख कर प्रकरण को समाप्त कर दिया तहसील न्यायालय का यह आदेश विधि, विधान एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं ! इस कारण निरस्ती योग्य है ।

03 यह कि, अपीलांट वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 559 की भूमि स्वामी हैं तथा रेकार्ड ऑफ राईट्स में भी उसका नाम भूमिस्वामी स्वत्व के रूप में दर्ज चला आ रहा है । आवेदक अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहती है । सीमांकन शुल्क 50/– रूपयें भी चालान से जमा कर दिये

निरन्तर.........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/3674

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	